न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
39 / 2019	2019 / 0073	27.05.2019	17.10.2022

उनवान प्रकरण

1. रामजीलाल मिश्रा पुत्र स्व0 मालीराम उम्र 50 वर्ष
2. धनश्याम मिश्रा पुत्र स्व0 मालीराम उम्र 45 वर्ष
3. मंजू देवी पुत्री स्व0 मालीराम उम्र 55 वर्ष
4. शांति देवी पत्नि स्व0 मालीराम उम्र 75 वर्ष
5. मदनलाल पुत्र सीताराम उम्र 60 वर्ष
6. रतनलाल पुत्र सीताराम उम्र 65 वर्षा
7. सत्यनारायण पुत्र सीताराम उम्र 52 वर्ष
8. सीता देवी पत्नि सीताराम उम्र 80 वर्ष
9. शशिकान्ता पत्नि महेश कुमार पुत्र सीताराम उम्र 50 वर्ष
10. ऋषभ पुत्र महेश कुमार पौत्र सीताराम उम्र 25 वर्ष
11. अपर्णा पुत्री महेश कुमार पौत्र सीताराम उम्र 20 वर्ष

समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

---वादीगण

बनाम्

1. ऊषा पुत्री रामावतार उम्र 45 वर्ष
2. पवन कुमार पुत्र रामावतार उम्र 50
3. राजेन्द्र कुमार पुत्र रामावतार उम्र 55 वर्ष
4. हनुमानसहाय पुत्र रामावतार उम्र 58 वर्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.11.10 13:49:37 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

5. हरिप्रसाद पुत्र रामावतार उम्र 48 वर्ष

6. शिम्भूदयाल पुत्र नानगराम उम्र 52 वर्ष

7. संजय कुमार पुत्र नानगराम उम्र 40 वर्ष

समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0।

8. पटवारी पटवार हल्का अजीतगढ।

9. उपतहसीलदार अजीतगढ

10. उपपंजीयक अजीतगढ

11. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार, श्रीमाधोपुर

—प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपस्थित:—

श्री विक्रम सिंह बांकावत, एड0 वादीगण अभिभाषक।

श्री जितेन्द्र गौड़, एड0 प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3, 5 अभिभाषक।

श्री निखिल शर्मा एड0, प्रतिवादीगण संख्या 4, 6 व 7 अभिभाषक ।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 11 की ओर से ।

वादपत्र बाबत उद्घोषणा एंव स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा 1029 रकबा 0.67 हैक्टर, खसरा नम्बर 1030 रकबा 0.71 है0, खसरा नम्बर 1033 रकबा 0.67 है0, खसरा नम्बर 1180 रकबा 0.52 है0 कुल कितात 4 कुल रकबा 2.57 है0 अवस्थित तन ग्राम अजीतगढ पटवार हल्का अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 है। जिसके हिस्सा 1/3 भाग का वादी नम्बर 1 ता 4 एवं हिस्सा 1/3 भाग के वादी नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.11.10 13:49:37 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

5 ता 11 तक्त बुजुर्गान से काबिज काश्तकार चले आ रहे है। उक्त वर्णित भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी नम्बर 1 ता 7 की पैतृक भूमिया है। जो प्रस्तुत सजरा खानदान से स्पष्ट है। उक्त वर्णित आराजीयात के हिस्सा 1/3 भाग पर वादी नम्बर 1 ता 4, हिस्सा 1/3 भाग पर वादीगण नम्बर 5 ता 11, हिस्सा 1/3 भाग पर प्रतिवादी नम्बर 1 ता 7 वक्त बुजुर्गान से काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त वादग्रस्त आराजीयात के पुराने खसरा नम्बर 383, 378 थे। उक्त आराजीयात वादीगण के पिता/दादा/पडदादा गोविन्दराम पुत्र हरसहाय की पैतृक संपदा थी। संवत 2019 से 2022 की जमाबंदी में उक्त आराजीयात वादीगण के पिता/दादा/पडदादा गोविन्दराम पुत्र हरसहाय की खातेदारी में दर्ज चली आ रही थी। उनकी मृत्यु के बाद उक्त भूमि उनके विधिक वारिस तीन पुत्र विजयलाल, मालीराम, सीताराम पुत्रगण गोविन्दराम की खातेदारी में दर्ज हो गई। इस प्रकार उक्त भूमि के हिस्सा 1/3 भाग के खातेदार विजयलाल पुत्र गोविन्दराम, हिस्सा 1/3 भाग खातेदार वादी नम्बर 1 ता 4 के मृत्तक पिता मालीराम पुत्र गोविन्दराम, हिस्सा 1/3 भाग के खातेदार सीताराम पुत्र गोविन्दराम हो गये। उक्त विजयलाल प्रतिवादी नम्बर 1 ता 7 का दादा है एवं मालीराम वादी नम्बर 1 ता 4 का पिता है तथा सीताराम वादी नम्बर 5 ता 11 का पिता/पति/श्वसुर/दादा है। विजयलाल, सीताराम, मालीराम की मृत्यु हो चुकी है। संवत 2023 से 2026 की जमाबंदी में उक्त भूमि की खातेदारी सही रूप से विजयलाल, मालीराम, सीताराम पिता गोविन्दराम के नाम सही रूप से दर्ज चली आ रही थी परन्तु बाद में प्रतिवादी नम्बर 1 ता 7 के दादा विजयलाल की मृत्यु के बाद विरासत की खातेदारी दर्ज करते समय राजस्व कर्मचारियों ने गफलत करते हुये उक्त भूमि की खातेदारी में नानगराम, रामावतार पिता विजयलाल, मालीराम, सीताराम पिता गोविन्दराम दर्ज कर दिया जबकि राजस्व कर्मचारियों को विजयलाल की खातेदारी दर्ज करते समय नानगराम रामाव[illegible] एक हिस्सा 1/3 अंकन करना था। बाद में राजस्व कर्मचारियों ने [illegible] लापरवाही करते हुये नानगराम रामावतार पिता वि[illegible] भाग का, मालीराम, सीताराम पिता गोविन्दराम को हिस्सा 1/2 भाग का खातेदार [illegible] कर दिया। जिसके बाद राजस्व कर्मचारियों ने रामावतार की मृत्यु के बाद गलत रूप से विरासत अनुसार हिस्सा 1/4

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.11.10 13:49:37 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

भाग की खातेदारी प्रतिवादी नम्बर 1 ता 5 के नाम एवं नानगराम की मृत्यु के बाद हिस्सा 1/4 भाग की खातेदारी प्रतिवादी नम्बर 6 ता 7 के नाम दर्ज कर दी। जबकि प्रतिवादी नम्बर 1 ता 7 को हिस्सा 1/3 भाग से अधिक भूमि की खातेदारी दर्ज करवाने का कोई अधिकार ही प्राप्त नहीं है। उक्त वर्णित आराजीयात के हिस्सा 1/3 भाग का वादी नम्बर 1 ता 4, हिस्सा 1/3 भाग के वादी नम्बर 5 ता 11 एवं हिस्सा 1/3 भाग के प्रतिवादी नम्बर 1 ता 7 काबिज काश्तकार विरासत अनुसार चले आ रहे है। जिसमें भी सीताराम के हक हिस्से की 1/3 भूमि में विरासत अनुसार वादी नम्बर 5 ता 8 प्रत्येक का 1/5 – 1/5 हिस्सा अर्थात सम्पूर्ण खातेदारी भूमि में 1/15 – 1/15 हिस्सा एवं वादी नम्बर 9 ता 11 का संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा अर्थात संपूर्ण खातेदारी भूमि में संयुक्त रूप से 1/15 हिस्सा है परन्तु राजस्व कर्मचारियों की गफलत व लापरवाही के चलते वर्तमान राजस्व रिकोर्ड में हिस्सा 1/4 भाग की खातेदारी वादी नम्बर 1 ता 4 के मृत्तक पिता मालीराम के नाम, हिस्सा 1/20 – 1/20 भाग की खातेदारी वादी नम्बर 5 ता 11 के नाम, हिस्सा 1/24 – 1/24 भाग की खातेदारी प्रतिवादी नम्बर 1 ता 5 के नाम, हिस्सा 1/8 – 1/8 भाग की खातेदारी प्रतिवादी नम्बर 6 ता 7 के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज चली आ रही है। जबकि वादीगण उक्त भूमि की विरासत अनुसार हिस्सा 1/3 भाग की खातेदारी वादी नम्बर 1 ता 4 के नाम, हिस्सा 1/15 – 1/15 भाग की खातेदारी वादी नम्बर 5 ता 8 के नाम एवं हिस्सा 1/15 भाग की खातेदारी वादी नम्बर 9 ता 11 के नाम, हिस्सा 1/30 – 1/30 भाग की खातेदारी प्रतिवादी नम्बर 1 ता 5 के नाम, हिस्सा 1/12 – 1/12 भाग की खातेदारी प्रतिवादी नम्बर 6 ता 7 के नाम उदघोषित करवाने के विधिक अधिकारी है। इसलिए उक्त वादग्रस्त आराजीयात के हिस्सा 1/3 भाग का वादी नम्बर 1 ता 4 को , हिस्सा 1/15 – 1/15 भाग का वादी नम्बर 5 ता 8 एवं हिस्सा 1/15 भाग का वादी नम्बर 9 ता 11 को काबिज खातेदार उदघोषित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। वादी ने कई बार प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 को उक्त भूमि का राजस्व रिकोर्ड दुरुस्त करवाने हेतु कई बार कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 वादीगण को हमेशा समयाभाव बताकर टालमटोल करते हुये परन्तु वर्तमान में जमीनों की बढती किमतों को देखकर उनके मन में बदनियति आ गई है तथा उक्त भूमि के गलत

सहायक कलक्टर (फारेस्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.11.10 13:49:37 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फारेस्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

चले आ रहे राजस्व रिकोर्ड की आड में उक्त भूमि को दीगर भू माफिया किस्म के व्यक्तियों को अन्तरित करने, नुमाईशी खातेदारी के आधार पर उक्त भूमि को दीगर भूमाफियों को विक्रय कर उनका कब्जा करवाने व भूमि पर निर्माण करने, कृषि भूमि को अकृषि भूमि में परिवर्तित करने की धमकीयॉ दे रहे हैं एवं वादीगण को उसके हक हिस्से से महरूम कर बेदखल करने की कुचेष्ठा कर रहे है एवं वादीगण की उक्त भूमि पर खडी फसल को नष्ट करके आवासीय कालोनी काटकर एवं सड़क आदि बनाकर उक्त भूमि का आवासीय कालोनी के रूप में उपयोग करने पर आमादा हो रहे है। प्रतिवादीगण को इस प्रकार का अवैधानिक कृत्य करने का कोई हक अधिकार किसी प्रकार का नहीं हैं। प्रतिवादीगण ने वादीगण को काफी हैरान परेशान कर रखा हैं, कहने सुनने से प्रतिवादीगण मान नहीं रहे है। इसलिए प्रतिवादीगण को उनके उक्त अवैध एवं बैजा कृत्य के लिये जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायाहित में आवश्यक है। अर्सा करीब तीन रोज पूर्व प्रतिवादी नम्बर 1 ता 7 नुमाईशी खातेदारी के आधार पर उक्त भूमि को अन्य दीगर को अन्तरित करने, वादीगण को उसके कब्जा कास्त से बेदखल करने पर आमादा होने, उक्त भूमियों के विशिष्ट भू–भाग पर कब्जा करने व कृषि से अकृषि भूमि में परिवर्तित करने एवं दीगर व्यक्तियों को अन्तरित करने व उक्त भूमियों में जबरन ताकत के बल पर अजनबी व्यक्तियों का कब्जा करवाने पर आमादा होने पर वाद कारण उत्पन्न होकर वादपत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना लाजिमि हुआ उक्त वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1029 रकबा 0.67 हैक्टर, खसरा नम्बर 1030 रकबा 0.71 हैक्टर, खसरा नम्बर 1033 रकबा 0.67 हैक्टर, खसरा नम्बर 1180 रकबा 0.52 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 2.57 हैक्टर अवस्थित तन ग्राम अजीतगढ पटवार हल्का अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 के हिस्सा 1/3 भाग का वादी नम्बर 1 ता 4 को, हिस्सा 1/15 – 1/15 भाग का वादी नम्बर 5 ता 8 को, हिस्सा 1/15 भाग का वादी नम्बर 9 ता 11 को काबिज खातेदार [illegible] फरमाया जाकर प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 7 का नाम वादीगण [illegible] जाने एवं तदप्रमाणिक असर स्वरूप प्रतिवादी नम्बर 1 ता [illegible] जाकर प्रतिवादी नम्बर 1 ता 5 के नाम हिस्सा 1/30 – 1/30 भाग एवं प्रतिवादी नम्बर 6 ता 7 के नाम हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.11.10 13:49:37 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

1/12 – 1/12 भाग की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने एंव प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 7 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन करते हुए दावा पेश कर बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादीगण के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी नम्बर 1 की तलबी जरिये रजिस्टर्ड डाक से की गई एंव प्रतिवादीगण संख्या 8 ता 11 की सम्मन तामील साधारण तरीके से असालतन होकर आई है। बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 1, 8 ता 11 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण संख्या 2, 3 व 5 की ओर से श्री जितेन्द्र कुमार गौड़ एड0 ने इकबालिया जवाब दावा पेश किया। प्रतिवादीगण संख्या 4, 6 व 7 की ओर से श्री निखिल शर्मा एड0 ने इकबालिया जवाब दावा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से वादीगण के पक्ष में राजीनामा पेश किया गया। प्रकरण में [illegible] में पी. डब्ल्यू.–1 वादी रतनलाल पुत्र सीताराम, पी. डब्ल्यू.–2 घनश्याम पुत्र मालीराम के लिखितशुदा मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र पेश हुए। वादीगण की ओर से वाद के समर्थन में दस्तावेज 1 लगायत 10 पेश किये गये। प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 7 के द्वारा इकबालिया जवाब दावा पेश हो जाने से वकील वादीगण ने वादपत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन करते हुए प्रकरण में आज ही बहस सुने जाने का निवेदन किया गया [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.11.10 13:49:37 IST
Reason: SelfAttested

हमनें वादीगण अभिभाषक [illegible] सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादीगण अभिभाषक द्वारा [illegible] किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077, भू प्रबन्ध

13/10/22
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

विभाग द्वारा जारी मिलान क्षेत्रफल, जमाबन्दी सम्वत् 2023 से 2026, 2019 से 2022, 2023 से 2026, 2045 से 2048, 2049 से 2052, 2053 से 2056 का, साक्ष्यों, इकबालिया वादी में वादीगण द्वारा पेश शपथ पत्रों व दस्तावेजात् इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमियों की खातेदारी पूर्व में जमाबन्दी सम्वत् 2019 से 2022 में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 के पिता/दादा/ पड़दादा श्री गोविन्दराम पुत्र हरसाय के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड होना प्रकट होता है तथा उक्त गोविन्दराम पुत्र हरसाय की मृत्यु के उपरान्त उनके विधिक वारिसान् विजयलाल, मालीराम, सीताराम पुत्रगण गोविन्दराम के नाम खातेदारी जमाबन्दी सम्वत् 2023 से 2026 तक में दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। जिससे उक्त वादग्रस्त भूमियाँ पक्षकारान् की पैत्रृक भूमि होना सिद्ध होता है। जिस पर वादीगण व प्रतिवादीगण के काबिज काश्त चले आना प्रकट होता है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के समर्थन में प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 7 ने इकबालिया जवाब दावा पेश कर वादीगण के वादपत्र को स्वीकार किया है एंव वादपत्र में अंकित कथनों की ताईद वादी के पक्ष में प्रतिवादी संख्या 6 के द्वारा राजीनामा पेश किया जाकर वादपत्र को स्वीकार किये जाने हेतु सहमति व्यक्त की गई । प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के पक्ष में पेश किये गये इकबालिया जवाब दावा व राजीनामा के आधार पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत उद्घोषणा एंव स्थाई निषेधाज्ञा का न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.11.10 13:49:37 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत् उद्घोषणा एंव स्थायी निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि कृषि भूमि

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

खसरा नम्बर 1029 रकबा 0.67 हैक्टर, खसरा नम्बर 1030 रकबा 0.71 है0, खसरा नम्बर 1033 रकबा 0.67 है0, खसरा नम्बर 1180 रकबा 0.52 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.57 है0 अवस्थित तन ग्राम अजीतगढ पटवार हल्का अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 के हिस्सा 1/3 भाग का वादी नम्बर 1 ता 4 को, हिस्सा 1/15 – 1/15 भाग का वादी नम्बर 5 ता 8 को, हिस्सा 1/15 भाग का वादी नम्बर 9 ता 11 को काबिज खातेदार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 7 का नाम वादीगण की खातेदारी से हजफ किया जाता है एवं तदप्रमाणिक असर स्वरूप प्रतिवादी नम्बर 1 ता 7 का हिस्सा कम किया जाकर प्रतिवादी नम्बर 1 ता 5 के नाम हिस्सा 1/30 – 1/30 भाग एवं प्रतिवादी नम्बर 6 ता 7 के नाम हिस्सा 1/12 – 1/12 भाग की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की जॉच कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(दिलीप सिंह)
सहायक कलेक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 17.10.2022 को [illegible] लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिलीप सिंह)
सहायक कलेक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.11.10 13:49:37 IST
Reason: SelfAttested